रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272809
CG-DL-E-22052026-272809

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326] नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2026/वैशाख 28, 1948
No. 326] NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 2026/VAISAKHA 28, 1948

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2026

स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन), विनियम 2026

सं. यू-14021-8-2023-यूजीएमईबी.—राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 द्वारा सामान्य रूप से चिकित्सा शिक्षा के संदर्भ में और विशेष रूप से उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) और धारा 57 की उपधारा (2) के खंड (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण), (त), (थ), (द), (ध) द्वारा प्रदत्त समग्र शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एतद्द्वारा "**स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम 2023**" में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित **मसौदा विनियम** (**draft Regulations**) बनाता है, अर्थात्

1. (i) इन विनियमों को “स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियम, 2026” कहा जाएगा।

   (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम" 2023” में, अध्याय v के खंड 21 के परंतुक में: स्नातक स्तर पर योग्यता आधारित गतिशील पाठ्यक्रम:

   'बशर्ते किसी भी परिस्थिति में छात्र को प्रथम वर्ष (प्रथम व्यावसायिक एमबीबीएस) के लिए चार (04) से अधिक प्रयासों की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी भी छात्र को पाठ्यक्रम में प्रवेश की तारीख से नौ (09) वर्षों के बाद स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

'बशर्ते कि किसी भी परिस्थिति में छात्र को प्रथम वर्ष (प्रथम व्यावसायिक एमबीबीएस) के लिए चार (04) से अधिक प्रयासों की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी भी छात्र को प्रथम एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश (निरंतर रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप सहित) के दस (10) वर्षों के बाद स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी'।

डॉ. राघव लंगर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./95/2026-27]

नोट: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 02 जून, 2023 को एनएमसी अधिसूचना संख्या यू-14021-8-2023-यूजीएमईबी के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023" में कुछ संशोधन प्रस्तावित करता हैं। अध्याय v के खंड 21 के परंतुक में विनियम में संशोधन के लिए **मसौदा विनियम** निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तैयार किया गया है और इसे संभावित रूप से प्रभावित सभी हितधारकों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त **मसौदा विनियम** (संशोधन), भारत के राजपत्र, जिसमें ये मसौदा विनियम (संशोधन) प्रकाशित किए गए हैं, की प्रतियां सार्वजनिक रूप से जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि पूर्ण होने के पश्चात इस पर विचार किया जाएगा।

उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों एवं सुझावों पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव यदि कोई हो, तो उन्हें उप सचिव (यूजीएमईबी), एनएमसी, कमरा नंबर 106, केबिन नंबर 127 बी, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पॉकेट -14, सेक्टर -8, द्वारका, फेज -1, नई दिल्ली -77 के पते पर ई-मेल द्वारा (ug_gmer_amend_2026@nmc.org.in) नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप में भेजा जा सकता है:

आपत्तियां और सुझाव **केवल** ऊपर दिए गए ई-मेल आईडी पर ही भेजें तथा किसी अन्य माध्यम, जैसे भौतिक रूप से या अन्य किसी तरीके से प्राप्त आपत्तियों / सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अधिसूचना का मसौदा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की वेबसाइट https://www.nmc.org.in पर उपलब्ध होगी।

सुझाव/टिप्पणियाँ प्राप्त करने का प्रारूप

क्र.सं.	व्यक्ति/संगठन का नाम एवं पता, संपर्क नंबर, ई-मेल आईडी	अधिसूचना के मसौदे का वह सम्बद्ध भाग, जिस पर टिप्पणियां की जा रही है	टिप्पणियां/सुझाव	तर्क	टिप्पणियां

NATIONAL MEDICAL COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2026

"Graduate Medical Education (Amendment), Regulations 2026"

No. U-14021-8-2023-UGMEB.—In exercise of overall powers conferred by the National Medical Commission Act, 2019 vis-à-vis medical education in general and specifically by sub-section (1) of section 24; and sub-section (h), (i), (j), (k), (o), (p), (q), (r), (s) of sub-section (2) of section 57 of the said Act, the National Medical Commission hereby makes the following **draft Regulations** to amend the **"Graduate Medical Education Regulations 2023"** namely-

1. (i) These Regulations may be called the "Graduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2026"

   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Graduate Medical Education Regulations", 2023, in the proviso to clause 21 of CHAPTER V: COMPETENCY BASED DYNAMIC CURRICULUM AT UNDER GRADUATE LEVEL:

'Provided under no circumstances the student shall be allowed more than four (04) attempts for first year (First Professional MBBS) and no student shall be allowed to continue undergraduate medical course after nine (09) years from the date of admission into the course'

Shall be substituted as under:

'Provided under no circumstances the student shall be allowed more than four (04) attempts for first year (First Professional MBBS) and no student shall be allowed to continue undergraduate medical course after ten (10) year of joining the first MBBS course (including continuous rotatory medical internship)'.

Dr. RAGHAV LANGER, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./95/2026-27]

The principal regulation was published in the Gazette of India, Extraordinary, PART III- Section 4, dated 02 June, 2023 vide NMC Notification No U-14021-8-2023-UGMEB.

The National Medical Commission proposes certain amendment to "Graduate Medical Education Regulations, 2023. The **draft regulation** amending the regulation in the proviso to clause 21 of chapter V has been prepared and approved by the competent authority following due procedure and is hereby published for information of all stakeholders likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said **draft Regulation** (amendment) shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty (30) days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft Regulation (amendment) are made available to public.

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by National Medical Commission.

Objections and suggestions if any, may be addressed to the Deputy Secretary (UGMEB), NMC, Room No. 106, Cabin No. 127 B, National Medical Commission, Pocket-14, Sector-8, Dwarka, Phase-1, New Delhi-77 and sent by email at (ug_gmer_amend_2026@nmc.org.in) in the prescribed format attached below:

The objections and suggestions be sent **only** on the above e-mail ID and the objections/suggestions received in any other means i.e physical or through other modes will not be entertained.

The draft notification will be available on National Medical Commission's website: https://www.nmc.org.in

Format for seeking suggestions/comments

Sl. No.	Name & Address of the Person/Organization contact number, email ID	Relevant section in the draft Notification on which comments are being provided	Comments/Suggestions	Rationale	Remarks

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA